

नाक

आदेश

अभ्युक्ति

24/12/2020

अभिलेख उपस्थापित। हरिश सावैयाँ, पिता-स्व० बागुन सावैयाँ, ग्राम-गितिलपी, थाना- मुपफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- गितिलपी, थाना नं0- 580, खाता न0- 71, प्लॉट न0- 515 एवं 516, रकवा- 0.03 1/2 एकड़ एवं 0.06 1/2 एकड़ कुल 0.10 एकड़ भूमि क्रेता कमला सिंक्, पिता-स्व० चन्द्र मोहन सिंक्, ग्राम-मतकमहातु, थाना- मुपफसिल, चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम हालसर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 1283, दिनांक 19.12.2020 के द्वारा प्राप्त है। गृह निर्माण हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता कमला सिंक्, पिता-स्व० चन्द्र मोहन सिंक्, ग्राम-मतकमहातु, थाना- मुपफसिल, चाईबासा के पास 4,99,500.00/- (चार लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ) रुपये मात्र में बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् भी 2.50 एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुन्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता हरिश सावैयाँ, पिता-स्व० बागुन सावैयाँ, ग्राम-गितिलपी, थाना- मुपफसिल जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- गितिलपी, थाना नं0- 580, खाता न0- 71, प्लॉट न0- 515 एवं 516, रकवा- 0.03 1/2 एकड़ एवं 0.06 1/2 एकड़ कुल 0.10 एकड़ भूमि को क्रेता कमला सिंक्, पिता-स्व० चन्द्र मोहन सिंक्, ग्राम-मतकमहातु, थाना- मुपफसिल, चाईबासा जिला- पश्चिमी सिंहभूम के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित



भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।



भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।